"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2012

क्रमांक 678/468/अव./2012/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 18-6-2012 से 23-6-2012 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16, 17 एवं 24-6-2012 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद [illegible] होंगे।

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ. 2-20/2010/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा मंत्रालय में पदस्थ निम्नलिखित अवर सचिवों को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 03 में दर्शाये गये विभाग में पदस्थ करता है :—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम/विभाग (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1.	श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2)	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग.
2.	श्री सुरेश कुमार तिवारी, अवर सचिव, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग.	सामान्य प्रशासन विभाग (पूल)

2. स्थानान्तरित दोनों अधिकारियों को दर्शाये गये नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एकपक्षीय कार्यमुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वे आज ही नवीन पदस्थापना विभाग में कार्यभार ग्रहण करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2012

क्रमांक 674/433/अव./2012/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 329-30/156/अव./2012/1-8/स्था., दिनांक 16-4-2012 द्वारा श्री पी.डी. पुरबिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनु.जाति विकास विभाग को दिनांक 16-4-2012 से 5-5-2012 तक 20 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 6-5-2012 से 15-5-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 16-4-2012 के अनुसार यथावत् होंगे.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2012

क्रमांक 725/460/2012/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 24-05-2012 से 08-06-2012 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 09 एवं 10-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक 727/474/2012/1-8/स्था.—श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 29-05-2012 से 15-06-2012 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16 एवं 17-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जय नारायण अवस्थी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री जय नारायण अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जय नारायण अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2012

क्रमांक 729/464/2012/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 14-06-2012 से 23-06-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-06-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2012

क्रमांक 731/491/2012/1-8/स्था.—श्री गिरीश कोल्हे, मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 26-04-2012 से 05-05-2012 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 06-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गिरीश कोल्हे मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गिरीश कोल्हे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरीश कोल्हे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक 733/471/2012/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 16-05-2012 से 26-05-2012 तक 11 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 27-05-2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो इन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुंद गजभिये, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2012

फा. क्र. 4658/1470/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री हेमंत कुमार रात्रे, आत्मज श्री धनाजी रात्रे (श्रेणी-अनुसूचित जाति, मेरिट क्र.-27) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2012

फा. क्र. 4660/1638/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, कु. पारूल श्रीवास्तव, आत्मज श्री शिवम् सुंदरम् वर्मन, (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-2) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2012

फा. क्र. 4662/1721/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री अमित जिन्दल, आत्मज श्री विजय कुमार जिन्दल (श्रेणी-अनारक्षित, मेरिट क्र.-01) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2012

फा. क्र. 4664/1432/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्रीमती अर्चना भास्कर, पिता-श्री पी. एल. भास्कर (श्रेणी-अनुसूचित जनजाति, मेरिट क्र.-28) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2012

फा. क्र. 5001/1783/21-ब/छ.ग./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 234 एवं छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह दांगी, आत्मज श्री गुलजारी लाल दांगी (श्रेणी-विकलांग, मेरिट क्र.-21) को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 3(1)(ए) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2012

क्रमांक-4620/1428/21-ब/छ.ग./2012.—श्री आर. ए. तिवारी, अधिवक्ता/नोटरी, रामानुजगंज, जिला अंबिकापुर (छ.ग.) की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2012

क्रमांक-4744/1589/21-ब/छ.ग./2012.—श्री प्रकाश चन्द्र बाकलीवाल, अधिवक्ता/नोटरी, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) को नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी से संबंधित अभिलेख उचित रूप से संधारित न किए जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2012

क्रमांक-5036/1596/21-ब/छ.ग./2012.—श्री एम. एल. साहू, अधिवक्ता/नोटरी, तह. डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी से संबंधित अभिलेख उचित रूप से संधारित न किए जाने के फलस्वरूप, नोटरी रजिस्टर से उनका नाम, विलोपित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्रमांक एफ 7-32/2011/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 02-04-2012 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पेण्ड्री प.ह.नं. 23	738/1 का भाग	22.00 एकड़	औद्योगिक	आवासीय (अटल विहार योजना)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अटल विहार योजना हेतु आवासीय प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 5-6/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 15 सन् 2011) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा 01 मई 2012 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है.

No. F 5-6/18/2009.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No. 15 of 2011), the State Government, hereby, appoints the One May, 2012 as the date on which said Act shall come in to force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2012

क्रमांक एफ 01-06/2009/प.अधि./2012/चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार सरगुजा संभाग के लिए निम्नानुसार अधिमान्यता समिति गठित करता है :—

1. श्री अनिल सिंह, ब्यूरो प्रमुख, अमृत संदेश, अम्बिकापुर.
2. श्री योगेश मिश्रा, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर, अम्बिकापुर.
3. श्री मनोज सिंह, ब्यूरो प्रमुख, जी-24 घंटे, अम्बिकापुर.
4. श्री राम बरनवाल, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक देशबंधु, कोरिया.
5. श्री परवीन्द्र सिंह, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक हरिभूमि, कोरिया.
6. श्री विश्वबंधु शर्मा, ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया, कोरिया.
7. श्री संजय देवांगन, ब्यूरो प्रमुख, नवभारत, कोरिया.
8. श्री गोपाल असावा, संपादक, अम्बिकावाणी, अम्बिकापुर.

2. संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे, इस संभाग स्तरीय समिति के संयोजक, संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, जनसंपर्क होंगे. इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष का होगा लेकिन आगामी समिति के गठन तक यह क्रियाशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, विशेष सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक एफ 10-4/2010/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16, रायपुर दिनांक 04-03-2010 में हिताधिकारियों के बच्चों के लिए नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना में (अ) योजना का प्रावधान में (ii) (एफ) निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाता है :—

"नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ (छात्रवृत्ति इत्यादि) बालश्रम परियोजना में अध्ययनरत् समस्त बच्चों को भी उनकी कक्षा के अनुरूप देय होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-7/न.पा./रानिआ/समय कार्यक्रम/2012/559, दिनांक 22-05-2012 के अनुसार निम्नांकित नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन वर्ष 2012 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 19-06-2012 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है :—

क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम
1.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत खरौद के रिक्त वार्ड क्रमांक 8 एवं नगर पंचायत चन्द्रपुर के रिक्त वार्ड क्रमांक 5
2.	दुर्ग	नगर पालिका परिषद् भिलाई चरौदा के रिक्त वार्ड क्रमांक 13
3.	बालोद	नगर पंचायत गुण्डरदेही के रिक्त वार्ड क्रमांक 8 एवं नगर पंचायत चिखलाकसा के रिक्त वार्ड क्रमांक 1, 14, 15
4.	धमतरी	नगर पंचायत मगरलोड के रिक्त वार्ड क्रमांक 6

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिनांक 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्रमांक एफ 8-1/2010/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 37-15/तीन(एक)-3/पंचा./2012/516, दिनांक 15-05-2012 में उल्लेखित संलग्न परिशिष्ट अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए उप निर्वाचन वर्ष 2012 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 10-06-2012 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह में 07 दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किया जाता है, जो कारखानें निरन्तर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वस्तिक, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन मई-जून, 2012
रिक्त पदों की सांख्यिकी दिनांक 31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बिलासपुर	0	0	9	36
2.	मुंगेली	0	0	6	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	जांजगीर-चांपा	0	0	13	35
4.	कोरबा	0	0	1	22
5.	सूरजपुर	0	1	4	21
6.	बलरामपुर	0	2	1	5
7.	सरगुजा	0	0	7	25
8.	कोरिया	0	0	4	12
9.	रायगढ़	0	0	10	137
10.	जशपुर	0	0	4	15
11.	रायपुर	0	0	3	14
12.	बलौदाबाजार	0	1	7	23
13.	गरियाबंद	0	1	3	15
14.	महासमुन्द	0	0	3	23
15.	धमतरी	0	0	4	28
16.	बेमेतरा	0	0	3	16
17.	दुर्ग	0	0	5	14
18.	बालोद	0	0	6	24
19.	राजनांदगांव	0	0	8	38
20.	कबीरधाम	0	0	7	11
21.	कोण्डागांव	0	0	2	9
22.	बस्तर	0	0	5	5
23.	नारायणपुर	0	0	2	2
24.	कांकेर	0	3	8	130
25.	दन्तेवाड़ा	0	0	1	2
26.	सुकमा	0	1	0	0
27.	बीजापुर	0	2	3	175
	योग	0	11	129	844

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2012

क्रमांक एफ 1-32/खाद्य/2011/29/2485.—राज्य शासन एतद्द्वारा नियंत्रक, नापतौल कार्यालय के अंतर्गत नवगठित जिला कार्यालयों के लिये निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	ग्रेड वेतन (4)	पद संख्या (5)
1.	सहायक नियंत्रक, नाप-तौल	15600-39100	5400	01
2.	निरीक्षक नाप-तौल	5200-20200	2800	08
3.	सहायक वर्ग-3	5200-20200	1900	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	श्रम सहायक (चतुर्थ श्रेणी)	4750-7440	1300	08
5.	चौकीदार	4750-7440	1300	03
			योग	**31**

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 314/सी.एन. 00002480/बजट-5/वित्त/चार 2012, दिनांक 15-05-2011 द्वारा दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक 1305/एफ 21/08/2009/13/2/ऊ.वि./कृ.जी.ज्यो.यो.—राज्य शासन द्वारा कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कृषकों के 05 हार्स पॉवर तक के कृषि पम्प कनेक्शन अंतर्गत निर्धारित सीमा तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की योजना दिनांक 02 अक्टूबर, 2009 से प्रभावशील की गई है. राज्य शासन द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है.

तदानुसार संशोधित कृषक जीवन ज्योति योजना निम्नानुसार है :—

1. **पात्रता :—**

1.1 प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य के 5 एचपी तक के एक कनेक्शन को योजना में शामिल होने की पात्रता होगी.

1.2 हितग्राही पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का बकाया नहीं होना चाहिए. भुगतान बकाया होने पर योजना की पात्रता नहीं रहेगी.

1.3 योजना में अस्थाई एवं स्थाई दोनों पात्र कृषि पंप कनेक्शन उपभोक्ता शामिल होंगे.

1.4 राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के प्रयोजन से जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी-नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर पंप ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के कृषि पंप कनेक्शन योजना में सम्मिलित होंगे.

2. **सुविधाए :—** योजना में पात्रताधारित अस्थाई/स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन उपभोक्ता को निम्नानुसार सुविधा दी जावेगी :—

2.1 ऊर्जा प्रभार में छूट :—

(i) निम्नानुसार निर्धारित खपत की सीमा में विद्युत की खपत किए जाने पर ऊर्जा प्रभार में भुगतान से छूट होगी :—

कृषि पंप की क्षमता	नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत खपत की सीमा
3 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 6,000 यूनिट तक
3 एचपी से अधिक परंतु 5 एचपी तक	वित्तीय वर्ष में 7,500 यूनिट तक

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिये कृषि पम्प कनेक्शन के अंतर्गत की गई विद्युत खपत पर अधिकतम सीमा नहीं रहेगी अर्थात् उनके द्वारा खपत की गई सम्पूर्ण विद्युत पर ऊर्जा प्रभार के भुगतान से छूट होगी.

2.2 **मीटर किराया में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत मीटर किराया के भुगतान से छूट होगी.

2.3 **नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्जेस) में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही को कृषि पंप कनेक्शन अंतर्गत नियत प्रभार (फिक्स्ड चार्जेस) के भुगतान से छूट होगी.

2.4 **विद्युत शुल्क में छूट :—** योजना में सम्मिलित हितग्राही के कृषि पंप कनेक्शन के अंतर्गत एक 20 वॉट के सी.एफ.एल. बल्ब (पायलट लैंप) की विद्युत खपत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी. इस हेतु ऊर्जा विभाग विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 की धारा-3(बी) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करेगा.

2.5 **ऊर्जा विकास उपकर में छूट :—** छत्तीसगढ़ ऊर्जा विकास उपकर संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत इस योजना के पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं को ऊर्जा विकास उपकर के भुगतान से छूट का लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त होगा.

3. **योजना की शर्तें :—**

3.1 निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता केवल ऐसे उपभोक्ताओं को रहेगी जिनके द्वारा अधिकतम पांच हार्स पॉवर तक के पंप का उपयोग कृषि सिंचाई में किया जायेगा.

3.2 योजनांतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को निःशुल्क विद्युत प्रदाय प्राप्त करने की सुविधा रहेगी.

3.3 निर्धारित सीमा तक निःशुल्क विद्युत की सुविधा की पात्रता ऐसे कृषक हितग्राहियों को भी प्राप्त होगी जो शासकीय या निजी सामुदायिक सिंचाई योजना के अंतर्गत अधिकतम 05 एचपी क्षमता के सिंचाई पम्प कनेक्शन का उपयोग सिंचाई हेतु कर रहे हैं. लेकिन निःशुल्क विद्युत खपत की सीमा में योजना में शामिल समस्त पात्र कृषि पंप उपभोक्ताओं के द्वारा उपयोग किए जा रहे पंप की क्षमता के अनुसार आंकलित सीमा अनुसार रहेगी.

3.4 वार्षिक विद्युत खपत की सीमा की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में की जावेगी. मीटर रीडिंग के आधार पर किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता द्वारा विद्युत की सकल खपत निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक की जाती है, तो ऐसी अवस्था में यथा स्थिति 6,000 अथवा 7,500 यूनिटों से अधिक खपत की गई यूनिटों पर प्रभावशील विद्युत दर अनुसार विद्युत देयक जारी किये जायेंगे जिनका भुगतान संबंधित उपभोक्ता को करना होगा.

3.5 योजनांतर्गत किसानों द्वारा स्थापित किए जा रहे कृषि सिंचाई पंप के लिए निम्नानुसार मापदण्डों का संतुष्ट करना आवश्यक है :—

(i) योजना अंतर्गत कृषकों द्वारा स्थापित 2 एचपी तक के सिंगल फेस कृषि पंपों का केवल आई.एस.आई. मार्का होना पर्याप्त होगा. दो एचपी से अधिक क्षमता के कृषकों द्वारा स्थापित सिंगल फेस कृषि पंप ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) के द्वारा प्रमाणित स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पंप सेट होना अनिवार्य होगा.

(ii) योजना अंतर्गत स्थापित समस्त कृषि पंपों के साथ पी.व्ही.सी. सक्शन पाईप, घर्षणरहित फुटवाल्व तथा उपयुक्त क्षमता का केपेसिटर लगाना अनिवार्य होगा.

3.6 ऐसे पात्र कृषक जिनके कृषि पम्प वर्तमान में ऊर्जीकृत है, को योजना लागू करने की तिथि अर्थात् 2 अक्टूबर, 2009 से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि या पम्प बदलने की अवस्था में जो भी पहले हो,

(i) पुराने नॉन आईएसआई सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) के बदले केवल आईएसआई मार्का सिंगल फेस कृषि पम्प (2 हार्स पॉवर तक) स्थापित करना होगा,

(ii) ऊपर क्रमांक (i) को छोड़कर अन्य सभी पुराने कृषि पम्पों के बदले ऊर्जा कार्य कुशलता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency) द्वारा स्टार रेटेड (4 अथवा 5 स्टार) पम्प सेट्स स्थापित करना होगा,

(iii) वर्तमान में स्थापित जी.आई. पाईल लाइन को पी.व्ही.सी. सक्सन पाईप, सामान्य फुटवाल्व को घर्षण रहित फुटवाल्व से बदना होगा एवं उपयुक्त क्षमता का केपीसीटर स्थापित करना होगा,

ऊपर क्रमांक (i), (ii) व (iii) में वर्णित शर्तों पर पालन न करने की अवस्था में नि:शुल्क विद्युत प्राप्त करने की पात्रता समाप्त हो जाएगी,

3.7 योजनांतर्गत नि:शुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त करने वाले प्रत्येक सिंचाई पंप उपभोक्ता को पायलट लैम्प लगाने की सुविधा अधिकतम 20 वाट तक के सी.एफ.एल. बल्व के उपयोग पर ही दी जाएगी.

3.8 ऐसे पात्र कृषक उपभोक्ताओं, जिन पर विद्युत देयक राशि का भुगतान बकाया हो, को इस योजना के अंतर्गत सुविधा/लाभ की पात्रता बकाया राशि के भुगतान उपरांत ही मिलेगी.

3.9 योजना अंतर्गत शासकीय, अर्द्ध शासकीय कृषि फार्म हाऊस, नगर निगम/निगमों व सार्वजनिक उपक्रम/उपक्रमों को नि:शुल्क विद्युत की पात्रता नहीं रहेगी.

3.10 योजना अंतर्गत राज्य में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित एनीकट/चिन्हित नदी-नालों के दोनों किनारों पर बिजली के तार बिछाकर सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की योजना में सम्मिलित पात्र कृषक के पंप कनेक्शन पर पात्रता की सीमा में ऊर्जा प्रभार, मीटर किराया, फिक्स्ड चार्जेस के भुगतान से छूट की सुविधा रहेगी.

3.11 योजना अंतर्गत प्रत्येक कृषि पंप उपभोक्ता को प्रति वर्ष 3 एचपी तक के कनेक्शन पर 6,000 यूनिट तथा 3 से 5 एचपी के कनेक्शन पर 7,500 यूनिट तक नि:शुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा देने के फलस्वरूप विद्युत वितरण कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आंकलन राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विद्युत दरों के अनुसार किया जाएगा. तदानुसार आंकलित वित्तीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में अनुदान का प्रावधान कर उक्त अनुदान का अग्रिम भुगतान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा.

4. उपरोक्तानुसार शर्तों के अधीन प्रभावशील कृषक जीवन ज्योति योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित कृषक को दी जा रही सुविधा की पात्रता तत्काल समाप्त हो जायेगी.

5. ऊर्जा विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे.

6. इस संशोधित कृषक जीवन ज्योति योजना में सम्मिलित सुविधाएं/प्रावधान दिनांक 01-04-2012 से प्रभावशील होंगे. लेकिन विद्युत शुल्क से छूट एवं ऊर्जा विकास उपकर से छूट संबंधित अधिनियम में तत्संबंध में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दी जावेगी.

उपरोक्तानुसार कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत विभिन्न सुविधाएं आदेश की शर्तों के अधीन आगामी आदेश तक जारी रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2012

क्रमांक एफ 1-5/2005/25/1.—आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विशिष्ट संस्थाओं के लिये इकाईवार रचनाक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है. उक्त पद संरचना में निम्नलिखित छात्रावास/आश्रम हेतु कॉलम-3 अनुसार स्वीकृत अधीक्षक

के पदनाम को कॉलम-5 अनुसार संशोधन करते हुए अधीक्षकों के पदनाम उनके वेतनमान अनुसार श्रेणीकरण किया जाता है :—

क्र. (1)	छात्रावास/आश्रम का नाम (2)	पूर्व स्वीकृत पदनाम (3)	वेतनमान (4)	संशोधित पदनाम (5)	वेतनमान (6)
1.	पो. मैट्रिक छात्रावास 500 सीटर (महाविद्यालयीन छात्रावास रायपुर)	अधीक्षक द्वितीय श्रेणी प्राचार्य	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	अधीक्षक श्रेणी अ	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400
2.	गुरूकुल विद्यालय	छात्रावास अधीक्षक	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400	अधीक्षक श्रेणी अ	15600-39100 ग्रेड वेतन 5400
3.	पो. मैट्रिक छात्रावास 100 सीटर	अधीक्षक/शिक्षाकर्मी वर्ग 1	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300/ 5300-8300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
4.	माध्यमिक आश्रम 100 सीटर	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
5.	माध्यमिक आश्रम 50 सीटर	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
6.	आदर्श उ.मा.वि.	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
7.	कन्या शिक्षा परिसर (कक्षा 6 से 12)	छात्रावास अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
8.	कन्या शिक्षा परिसर (कक्षा 1 से 12 तक)	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300	अधीक्षक श्रेणी ब	9300-34800 ग्रेड वेतन 4300
9.	पो. मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर	अधीक्षक/शिक्षाकर्मी वर्ग 2	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/ 4500-7000	छात्रवास अधीक्षक श्रेणी स	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200
10.	प्री मैट्रिक छात्रावास 100 सीटर	अधीक्षक/शिक्षाकर्मी वर्ग 2	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/ 4500-7000	छात्रवास अधीक्षक श्रेणी स	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200
11.	आदर्श कन्या आश्रम 100 सीटर	अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	छात्रवास अधीक्षक श्रेणी स	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200
12.	प्राथमिक आश्रम 100 सीटर	प्रधान पाठक सह अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	छात्रवास अधीक्षक श्रेणी स	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200
13.	प्राथमिक आश्रम 50 सीटर	प्रधान पाठक सह अधीक्षक	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200	छात्रवास अधीक्षक श्रेणी स	9300-34800 ग्रेड वेतन 4200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	प्री मैट्रिक छात्रावास 50 सीटर	अधीक्षक/शिक्षाकर्मी वर्ग 3	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/ 3800-5800	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400

2. यह स्वीकृति छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर के यू.ओ. क्रमांक 174/00001249/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 28-04-2012 के द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2012

क्रमांक/एफ 19-63/25-1/2008.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28-02-2009 द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, रायपुर नियुक्त किया गया था. तत्पश्चात् पुनः विभागीय आदेश दिनांक 10-05-2011 द्वारा श्री मिंज की संविदा नियुक्ति की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी, जिसकी सेवा अवधि दिनांक 17-05-2012 को समाप्त हो चुकी है.

2. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. मिंज, सेवानिवृत्त, राज्य प्रशासनिक सेवा को पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

3. नियम शर्तें पूर्ववत् यथावत् रहेगा.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक एफ-20-3/25-2/2009/आजावि.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का गठन किया गया है.

2. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 16 (1) (iv) को संशोधित कर "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.

3. अतः उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2009 को अधिक्रमित करते हुए उक्त अधिसूचना के अनुक्रमांक 24 के तहत अंकित प्रविष्टि "निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग" को "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि" के द्वारा प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 20-10/2007/ग्यारह/(छै:).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन कौंसिल का गठन करती है :—

1.	आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर	—	अध्यक्ष
2.	उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रायपुर	—	सदस्य
3.	श्री गोपाल टावरी, अध्यक्ष, मिनी सीमेंट प्लांट एसोसिएशन, भिलाई	—	सदस्य
4.	श्री हरीश केडिया, अध्यक्ष, छ.ग. लघु एवं सहा. उद्योग संघ, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर.	—	सदस्य
5.	श्री सुरेश खाखरिया, बैरागढ़ बाड़ा सिविल लाईन, रायपुर	—	सदस्य

2. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 2 वर्ष का होगा.

3. कोई भी सदस्य कौंसिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और तदुपरांत वह कौंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. कौंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.

5. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कौंसिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये अवधारित की जाये.

6. कौंसिल की बैठक एक माह के कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगी.

7. कौंसिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य, कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

8. कौंसिल की बैठक की गणपूर्ति कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय, गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में कौंसिल में कौंसिल का अध्यक्ष बैठक के लिये कोई नई सूचना जारी करेगा.

9. कौंसिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से निश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. कौंसिल उक्त अधिनियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3799 को दिनांक 02-06-2012 से 30-06-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6) पार्ट.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित, 2004) के नियम-3 में अंकित परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 123 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित किया जाता है :—

अनुक्रमांक — 124 चैन सॉ
अनुक्रमांक — 125 ब्रश कटर
अनुक्रमांक — 126 पॉवर आपरेटेड मिस्टब्लोवर
अनुक्रमांक — 127 पॉवर आपरेटेड कल्टीवेटर पोलपुर्नर
अनुक्रमांक — 128 अर्थ आरगन मशीन
अनुक्रमांक — 129 फॉगिंग मशीन

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावी माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग।
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जून 2012

क्रमांक 3651/तक./परि./2012.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 158 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-नियम (1) एवं (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीटों की न्यूनतम संख्या जो उपबंधित की जानी है, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) अथवा (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी एवं बैठक क्षमता से संबंधित अन्य नियमों के अनुरूप, चेसिस के प्रकार जिस पर ढांचा स्थापित किया गया है, का सम्यक् ध्यान रखते हुए, संचालक क्षमता में वृद्धि कर सकता है :

तालिका

स. क्र.	व्हील बेस		साधारण वाहन	एक्सप्रेस वाहन
	मि.मी.	इंच	(न्यूनतम बैठक क्षमता)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540-2,921	100-115	16	पंजीयन प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 128 के अनुसार सीटों का समनुदेशन (आवंटन) किया जायेगा.
2.	2,946-3,048	116-120	20	
3.	3,073-3,429	121-135	25	
4.	3,454-4,064	136-160	30	
5.	4,089-4,318	161-170	40	
6.	4,343-4,953	171-195	44	
7.	4,978-5,207	196-205	48	
8.	5,232-5,334	206-210	55	
9.	5,334 से अधिक	210 से अधिक	पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नियम 158 के अनुसार ही सीटों का समनुदेशन (आवंटन) किया जायेगा.	

परन्तु यह कि पंजीयन प्राधिकारी किसी लोक सेवा यान के संबंध में ऊपर दी गई सीटों में परिवर्तन कर सकता है, जहां तल का कुल क्षेत्र एवं ले-आऊट ऊपर दी गई बैठक क्षमता का समनुदेशन अनुज्ञात नहीं करता, परन्तु यह परिवर्तन दो अथवा तीन सीट से अधिक का नहीं होगा."

2. नियम 158 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) नियम 46 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस उप-नियम (3) के लागू होने से पूर्व उपर्युक्त उप-नि[illegible] लगाए गए प्रतिबंध जहां तक वे पंजीकृत प्रक्रम वाहन के संबंध में है, उस उप-नियम के प्रारंभ होने की तारीख [illegible] की अवधि के बाद ही प्रभावी (लागू) होंगे और सीट, सीटिंग ले-आऊट, स्लीपर बर्थ अथवा अन्य क[illegible] जानकारी का भौतिक सत्यापन पंजीयन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा."

No. 3651/तक./परि./2012.—In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published, as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (3) of Rule 158, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the minimum number of seats to be provided shall be as specified in Column (4) or (5) of the following Table, leaving to the operator to increase the capacity consistent with other rules relating to the seating capacity, having due regard to the type of chassis on which the body is built :-

TABLE

S. No.	Wheel Base		Ordinary Vehicle (Minimum Seating Capacity)	Express Vehicle
	M.M.	Inches		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2,540 - 2,921	100 - 115	16	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 128 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 by the Registering Authority.
2.	2,946 - 3,048	116 - 120	20	
3.	3,073 - 3,429	121 - 135	25	
4.	3,454 - 4,064	136 - 160	30	
5.	4,089 - 4,318	161 - 170	40	
6.	4,343 - 4,953	171 - 195	44	
7.	4,978 – 5,207	196 - 205	48	
8.	5,232 – 5,334	206 - 210	55	
9.	Above- 5,334	Above - 210	Assignment of seats shall be strictly in accordance with Rule 158 by the Registering Authority.	

Provided that the Registering Authority may vary above seats in respect of any public service vehicles where the floor space and lay-out do not permit to assign the above seating capacity, but it shall not be varied more than two or three seats."

2. For sub-rule (4) of Rule 158, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

"(4) Subject to the provision of Rule 46, the restriction imposed by sub-rule (3) above in so for as they relate to the Stage Carriages registered before the coming into force of this sub-rule (3), shall be operative only after a period of four months from the date of commencement of that sub-rule and physical verification of seats, seating layout, sleeper berths, or any vital information necessary shall be done by the Registering Authority."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 12 जून 2012

क्रमांक/1526/भू-अर्जन/1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	केशकाल	जामगांव	0.377	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कोण्डागांव.	बोरगांव-अड़ेंगा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी केशकाल अथवा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, संभाग कोण्डागांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त कुमार पहारे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक 1344/वाचक-1/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता	3.376	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना की शाखा नहर का प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक 1345/वाचक-1/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता	3.121	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना की शाखा नहर का प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 28 मई 2012

रा.प्र.क्र.-07 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पण्डरिया	भोयटोला प. ह. नं. 08	1.372	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	कोदवा किलकिला व्यपवर्तन योजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), पण्डरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 7 जून 2012

क्रमांक/2746/भू-अर्जन/कले./2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	श्रीरामनगर कांकेर	4.50	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल बस्तर संभाग, जगदलपुर.	अटल विहार योजना अंतर्गत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. खाखा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 11 जून 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./21/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	चिरहुलडीह प. ह. नं. 36	766/1/क/1	0.065	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	गीतानगर रामनगर मार्ग में हावड़ा मुम्बई मुख्य रेल लाईन के कि.मी. 831/5-7 पर रेल्वे ब्रिज के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			766/1/क/2	0.073		
			767/1	0.032		
			768/1	0.040		
			769/1	0.012		
			769/3	0.077		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			770/1	0.045		
			771/1	0.093		
			328	0.005		
		योग	09	0.442		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	बरतराई	2.47	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निगम संभाग, बिलासपुर.	सेतु निर्माण के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 31 मई 2012

रा. प्र. क्र./10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	सरईडीह	0.969	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	दुन्दु जलाशय योजना के अन्तर्गत ग्राम सरईडीह के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 मई 2012

रा. प्र. क्र./11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खांने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	दुन्दु	19.541	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	दुन्दु जलाशय के अन्तर्गत दुन्दु जलाशय के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 मई 2012

रा. प्र. क्र./12/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	दुन्दु	7.279	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	दुन्दु जलाशय के अन्तर्गत ग्राम दुन्दु के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 3 अप्रैल 2012

क्रमांक/557/भू.अ.प्र.क्र./अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	डौण्डी	बकलीटोला प. ह. नं. 11	2.38	कार्यपालन अभियंता, तान्दुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 1 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	कुड़ेकेला प. ह. नं. 47	0.584	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायगढ़.	बंगुरसुता कुड़ेकेला मार्ग पर माण्ड नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 1 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	धरमजयगढ़	बंगुरसुता प. ह. नं. 47	1.896	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायगढ़.	बंगुरसुता कुड़ेकेला मार्ग पर माण्ड नदी पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 62/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 2	0.771	कार्यपालन अभियंता, केलो परि-योजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 63/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बघनपुर प. ह. नं. 3	99.416	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 64/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उच्चभिठी प. ह. नं. 02	3.747	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 65/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनागर प. ह. नं. 11	143.316	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक/1235/प्र.क्र. 2/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गाड़ाभाठा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
249/1	0.10
250	0.48
251	0.01
334	0.28
367	0.20
610/2	0.28
252	0.14
253	0.14
255/1	0.16
257	0.16
256	0.04
529	0.34
715/4	0.08
258	0.16
549/9	0.18
558/2	0.10
377	0.18
559	0.10
260	0.08
261/2	0.08
262/1-2	0.10
298	0.06
310	0.22
364	0.02
299	0.34
335	0.04
368	0.02
363/2	0.10
528	0.04
537/2	0.30
539/1	0.30
365	0.08
609	0.56
366	0.08
792/4	0.04
357	0.15
557/1	0.12
548/1	0.24
548/2	0.24
548/6	0.22
554	0.35
552	0.11
358	0.03
योग 43	7.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहतरा से देउरगांव पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 जून 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-जयरामनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.32 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1122	0.10
1124	0.20
1125	0.23
1126	0.20
1127/1	0.08
1130	0.20
1128/1	0.03
1127/2	0.03
1128/2	0.03
1140	0.22
योग	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-देवगांव व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 जून 2012

क्रमांक 22 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-मड़वा, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
376/1	0.05
383/1	0.02
560	0.08
561/1	0.04
561/2	0.04
564	0.02
374/2, 383/2	0.02
375	0.03
376/2	0.03
378	0.05
382/2	0.03
382/1	0.02
356/2	0.02
योग 13	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह निर्माण के अन्तर्गत मुख्य द्वार तक भारी वाहनों के लिये पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./25/अ-82/वर्ष 2010-11/1167.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-रायपुर

(ग) नगर/ग्राम-तेन्दुआ, प. ह. नं. 32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.888 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	49/07	0.069
	49/28	0.072
	49/08	0.020
	49/03	0.092
	49/02	0.040
	49/15	0.042
	48/11	0.047
	48/06	0.002
	48/08	0.028
	48/01	0.192
	48/10	0.008
	66/02	0.239
	65/02	0.022
	65/01	0.007
	65/04	0.008
योग	15	0.888

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नंदनवन, जरवाय, हीरापुर मार्ग लम्बाई 6.00 कि.मी. हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 17 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कांसाबेल

(ग) नगर/ग्राम-कुदमुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.916 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
चैन क्रमांक 134 से 205 तक :—	
506	0.247
511	0.069
512	0.129
504/1	0.931
497	0.684
482/1	0.049
481/1	0.053
482/3	0.061
479	0.089
480	0.146
471/2	0.028
430	0.028
471/5	0.036
471/1	0.101
470/3	0.016
470/7	0.081
471/6	0.040
431/1	0.073
431/3	0.093

(1)		(2)
	432	0.089
	435	0.057
	437	0.117
	436	0.125
	434	0.024
	450	0.141
	449/2	0.085
	444	0.239
योग	27	3.831

शाखा नहर- II चैन क्रमांक 13 से 120 तक :—

(1)	(2)
527/1	0.032
527/3	0.036
527/4	0.036
528/2	0.133
594/2	0.032
544/1	0.140
544/3	0.139
541	0.053
556/1	0.040
556/2	0.045
840	0.049
563	0.040
562	0.130
602/1	0.186
596/1	0.065
597/2	0.036
597/3	0.036
596/2	0.065
594/1	0.028
594/3	0.032
594/4	0.032
594/5	0.032
685	0.040
686	0.073
688	0.061
689/1	0.032
690/1	0.081
691	0.036
692	0.049
898/1	0.024
904/1	0.089
945	0.134
716	0.113
711	0.134
706	0.183

(1)		(2)
	839/1	0.040
	839/2	0.077
	708	0.166
	705	0.089
	886/1क	0.061
	886/1ख	0.065
	890	0.089
	891/2	0.065
	892/2	0.073
	1032	0.206
	903	0.008
	902/1	0.162
	943	0.032
	941	0.037
	951/1	0.376
	1056	0.073
योग	51	4.085
कुल योग	78	7.916

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेलसूंगा जलाशय योजना अन्तर्गत कुदमुरा मुख्य नहर चैन क्रमांक 134 से 205 एवं कुदमुरा माइनर नहर 2 चैन क्रमांक 13 से 120 तक के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बगीचा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बानीखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.503 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/1	0.057
11, 17, 19/2	0.222
12/5	0.036
12/1, 13/2, 14/3	0.105
13/1	0.053
52/3, 52/14	0.365
14/2	0.008
13/3, 13/4	0.057
48/1	0.161
54	0.482
46/1-2	0.061
48/2, 49/1	0.144
52/6, 52/19	0.101
45/2	0.020
50/2	0.121
15/3	0.049
52/7	0.036
52/8	0.049
25/6ख	0.061
25/3	0.032
25/9	0.117
3/1ण	0.069
3/1त	0.097
योग 23	2.503

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सलिहा बिलारी मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/22.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/क्रमांक 7717-7718 दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री के. एस. नाग, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, केशकाल को कृषि उपज मण्डी समिति, केशकाल, जिला-कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री के. एस. नाग दिनांक 31-10-2011 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त हो गये हैं. उनके स्थान पर कलेक्टर जिला-कोण्डागांव के आदेश क्रमांक 724 दिनांक 15-03-2011 द्वारा श्री डी.एस. कुंजाम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) केशकाल, को मण्डी समिति, केशकाल का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. एस. नाग, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, केशकाल के स्थान पर श्री डी. एस. कुंजाम, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/24.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/5697 रायपुर, दिनांक 29-12-2011 द्वारा सुश्री द्रौपती जेसवानी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के आदेश क्रमांक 2258 दिनांक 18-03-2011 द्वारा सुश्री द्रौपती जेसवानी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कुरूद का स्थानांतरण धमतरी होने एवं उनके स्थान पर श्रीमती पदमिनी भोई साहू, डिप्टी कलेक्टर, धमतरी को अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद के पद पर पदस्थ किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा.1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री द्रौपती जेसवानी, भारसाधक अधिकारी के स्थान पर श्रीमती पदमिनी भोई साहू, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, कुरूद, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/26.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/क्रमांक 7574-7575 दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री के. पी. सिंह, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ को कृषि उपज मण्डी समिति, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री के. पी. सिंह, दिनांक 31-01-2012 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त हो गये हैं. उनके स्थान पर कलेक्टर जिला-राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 2262 दिनांक 25-02-2012 द्वारा श्री पी. एच. श्रीवास्तव, प्र. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), खैरागढ़ को मण्डी समिति, खैरागढ़ का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री के. पी. सिंह, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ के स्थान पर श्री पी. एच. श्रीवास्तव, प्र. अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), खैरागढ़ को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/28.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/4880-481 रायपुर, दिनांक 26-11-2011 द्वारा श्री सी. पी. हरनखेड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति, बेमेतरा, जिला-दुर्ग का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक 02-01-2012 द्वारा श्री सी. पी. हरनखेड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के स्थान पर श्री जे. एस. काकोरिया, सहायक संचालक कृषि को सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, बेमेतरा, जिला-दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है, और उनके द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. पी. हरनखेड़े, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, के स्थान पर श्री जे. एस. काकोरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को बेमेतरा, जिला-दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बेमेतरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/30.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/7717-7718 रायपुर, दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री सी. एन. सिंह, संयुक्त संचालक, कृषि, बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक 05-03-2012 द्वारा श्री सी. एन. सिंह, संयुक्त संचालक, कृषि के स्थान पर श्री एस. सी. पदम, संयुक्त संचालक, बीज विकास निगम, रायपुर को संयुक्त संचालक, कृषि, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है, और उनके द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री सी. एन. सिंह, संयुक्त संचालक, कृषि के स्थान पर श्री एस. सी. पदम, संयुक्त संचालक, कृषि, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/279.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/क्रमांक 7717-7718 दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री एम. एस. ध्रुव, उप संचालक कृषि, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) को कृषि उपज मण्डी समिति, गीदम, जिला-दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक 11-08-2011 द्वारा श्री एम. एस. ध्रुव, उप संचालक कृषि, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) के स्थान पर श्री बी. बी. अरोरा, को उप संचालक कृषि, जिला-दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) नियुक्त किये जाने एवं कलेक्टर जिला-दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) द्वारा श्री बी. बी. अरोरा, को मण्डी समिति, गीदम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. एस. ध्रुव, उप संचालक कृषि, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) के स्थान पर श्री बी. बी. अरोरा, उप संचालक कृषि, जिला-दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, गीदम, जिला-दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2012

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2012-13/283.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2010-11/क्रमांक 7717-7718 दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को कृषि उपज मण्डी समिति, जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

उप संचालक कृषि, बिलासपुर के आदेश क्रमांक 2834 दिनांक 27-02-2012 द्वारा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मस्तुरी को उप संचालक कार्यालय में संलग्न कर उनके स्थान पर श्री ए. के. कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, को कृषि विकास अधिकारी, मस्तुरी का कार्यभार सौंपा गया है, और उनके द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मस्तुरी के स्थान श्री ए. के. कश्यप, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, जयरामनगर, जिला-बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक/722-743/क/बं/श्र./श्र.प.जॉ./2012.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) निम्नांकित सदस्यों को नामांकित करते हुए बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति का गठन करता हूं.

1.	अपर कलेक्टर	सदस्य, जांजगीर-चांपा
2.	उप पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)	सदस्य, जांजगीर
3.	जिला सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य, जांजगीर
4.	शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक	सदस्य, नैला
5.	श्री जगेश्वर सिदार, मु.पो. खोरसी (पामगढ़)	सदस्य, अ.ज.जा.
6.	श्री राधेलाल चौरसिया, मु.पो. जांजगीर	सदस्य, अनु. जाति
7.	श्री सुनिल सेठी, मु.पो. चांपा	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता
8.	श्री विवेका गोपाल, मु.पो. जांजगीर	सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता

ब्रजेश चन्द्र मिश्र,
कलेक्टर.

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर
क्वार्टर नम्बर-88, सेक्टर-2, गीतांजली नगर, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

क्रमांक/सी.जी./फार्मा/निर्वा/2012/133.—फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 19 के खण्ड (क) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के 6 (छः) सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया दिनांक 20-06-2012 को सम्पन्न होने पर अन्तिम मतगणना के आधार पर मैं डॉ. आर. आर. साहनी, निर्वाचन अधिकारी नीचे लिखे गये 6 (छः) सदस्यों को निर्वाचन में उनको प्राप्त कुल मतों की संख्या के आधार पर निर्वाचित घोषित करता हूं.

क्रमांक	निर्वाचित प्रत्याशी	प्राप्त कुल मतों की संख्या
1.	श्री अजय सिंह राजपूत	2417
2.	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	1953
3.	श्री प्रभात बी. साहू	1850
4.	श्री संजय महोबे	1825
5.	श्री अश्वनी विग	1791
6.	श्री अमर लाल पंजवानी	1711

आर. आर. साहनी,
निर्वाचन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

क्रमांक 1850/तीन-10-8/2000 (VI).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-3476/तीन-10-8/2000 (V), दिनांक 27 जून, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक फा. 1-1/2003/2156/21-ब/छ.ग./2008, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 19-03-2012 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
		2. कोण्डागांव	1	2. नारायणपुर	1	2. नारायणपुर	1
				3. कोंडागांव	1	3. केशकाल	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1
				4. बिल्हा	1	4. कोटा	1
						5. लोरमी	1
						6. मरवाही	1
						7. तखतपुर	1
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
		2. बालौद	2	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2
				4. पाटन	1	4. साजा	1
				5. गुण्डरदेही	1	5. डोण्डीलोहारा	1
				6. भिलाई-3	1	6. दल्लीराजहरा	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
9.	कोरबा	1. कोरबा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
10.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
				2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. बलौदाबाजार	2	2. बलौदाबाजार	1	2. बलौदाबाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1	4. भाटापारा	1	4. राजिम	1
				5. कसडोल	1	5. सिमगा	1
						6. बिलाईगढ़	1
						7. तिल्दा	1
						8. देवभोग	1
						9. भटगांव	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर 2. सूरजपुर 3. प्रतापपुर 4. रामानुजगंज	3 1 1 1	1. अम्बिकापुर 2. रामानुजगंज 3. सूरजपुर 4. प्रतापपुर	2 1 1 1	1. अंबिकापुर 2. सूरजपुर 3. वाड्रफनगर 4. सीतापुर	5 2 1 1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	1 1	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर	2 1	1. कांकेर 2. पखांजुर	1 1

No. 1850/III-10-8/2000 (VI).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 3476/ III-10-8/2000 (V), dated 27-06-2011, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F-1-1/2003/2156/21-B/2008 dated 15-03-2012 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 19-03-2012 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur 2. Kondagaon	3 1	1. Jagdalpur 2. Narayanpur 3. Kondagaon	3 1 1	1. Jagdalpur 2. Narayanpur 3. Keshkal	6 1 1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra-Road	7 1 1	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra-Road 4. Bilha	5 1 1 1	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra-Road 4. Kota 5. Lormi 6. Marwahi 7. Takhatpur	10 1 1 1 1 1 1
3.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara 2. Sukma 3. Bijapur	1 1 1	1. Dantewara 2. Bijapur 3. Bacheli 4. Konta	2 1 1 1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1	1. Dhamtari 2. Nagri	2 1
5.	Durg	1. Durg 2. Balod 3. Bemetara	6 2 1	1. Durg 2. Balod 3. Bemetara 4. Patan 5. Gunderdehi 6. Bhilai-3	3 1 1 1 1 1	1. Durg 2. Balod 3. Bemetara 4. Saja 5. Dondilohara 6. Dallirajhara	12 2 2 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	1	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
7.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
8.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
9.	Korba	1. Korba	1	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1
10.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur	2	1. Baikunthpur	1
				2. Manendragarh	1	2. Manendragarh	1
				3. Chirmiri	1	3. Janakpur	1
11.	Mahasamund	1. Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund	2
				2. Saraipali	1	2. Pithoura	1
12.	Raigarh	1. Raigarh	2	1. Raigarh	2	1. Raigarh	4
		2. Sarangarh	1	2. Gharghora	1	2. Dharamjaigarh	1
				3. Sarangarh	1	3. Kharsiya	1
13.	Raipur	1. Raipur	8	1. Raipur	6	1. Raipur	16
		2. Balodabazar	2	2. Balodabazar	1	2. Balodabazar	1
		3. Bhatapara	1	3. Gariyaband	1	3. Gariyaband	1
		4. Gariyaband	1	4. Bhatapara	1	4. Rajim	1
				5. Kasdol	1	5. Simga	1
						6. Bilaigarh	1
						7. Tilda	1
						8. Devbhog	1
						9. Bhatgaon	1
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	2	1. Rajnandgaon	3
		2. Khairagarh	1	2. Ambagarh-chowki.	1	2. Dongargarh	1
				3. Dongargarh	1	3. Khairagarh	1
				4. Khairagarh	1	4. Chhuikhadan	1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur	2	1. Ambikapur	5
		2. Surajpur	1	2. Ramanujganj	1	2. Surajpur	2
		3. Pratappur	1	3. Surajpur	1	3. Wadrafnagar	1
		4. Ramanujganj	1	4. Pratappur	1	4. Sitapur	1
16.	[illegible] (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker	1
		2. Bhanupratappur	1	2. Bhanupratappur	1	2. Pakhanjur	1

By order of the High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय, परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. 45/याचिका/03/2011-12/345.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश संख्या-82/छ.ग./(5/2009) 12/188, दिनांक 10 फरवरी, 2012 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या-5/2009 में दिये गये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के तारीख 25 जुलाई, 2011 के आदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुमार कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

नई दिल्ली, तारीख 9 फरवरी, 2012—21 माघ, 1933 (शक)

सं. 82/छ.ग./(5/2009)/2011.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी सं. 5/2009 में दिये गये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के तारीख 25 जुलाई, 2011 के आदेश को प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

Election Petition No. 05/2009

PETITIONER : Mantu Ram Pawar, Aged about 37 years, S/o late Subran Singh Pawar R/o Tahsil & Post-Antagarh, District-Kanker (CG)

VERSUS

RESPONDENTS : 1. Vikram Singh Usendi S/o Dev Singh Usendi R/o Village- Ghotulbeda, Post-Bondanar, Tahsil-Antagarh, District Kanker (C.G.) Presently R/o C-3, Civil Lines, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

15-01-2009

Today i.e. on 15/01/2009 at about 01:00 pm Shri Mantu Ram Pawar, Presented an election Petition u/s 80/80-A, R/w section 100 and 101 of the Representation of people Act challenging the election of Shri Vikram Singh Usendi, in the capacity of candidate (Participating) in the constitutency No. i.e. 79, Antagarh (C.G.)

2. Amrit Khalko Returning Officer (District Kanker) Anatagarh Assembly Election District-Kanker (C.G.)

3. Mohtaj Singh Rana S/o Budh Singh Rana R/o Village-Sohgoan, Post-Easebeda, Tahsil-Pakhanjore District-Kanker (C.G.)

4. Rajeev Dhurwa S/o Barsu Ram Dhurwa, R/o Village & Post-Rengavahi, Tahsil-Pakhanjore District-Kanker (C.G.)

5. Om Prakash Padda S/o M. R. Padda, R/o H. No. 166, Santoshi Ward No. 15, Bhanupratappur, Tahsil-Bhanupratappur, District-Kanker (C.G.)

Election Petition under Section 80/80-A read with Section 100 & 101 of the Representation of People Act, 1951

The following is respectfully submitted on behalf of the petitioner :

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक EP 05 सन् 2009

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
	S. B. Hon'ble Shri Justice N. K. Agarwal 25-07-2011 None for the petitioner. Shri BD Guru, Advocate for respondent No. 1. Shri SC Verma Advocate for respondent No. 2. On 15-03-2011, Shri Varun Sharma, learned counsel appearing for the petitioner pleaded no instruction in the matter. Thereafter matter was adjourned. Today also, the matter is called for hearing twice. On both the occasions, none appears nor any representation is made on behalf of the petitioner. The petitioner may not be interested in the matter. The Supreme Court in case of Dr. P. Nalla Thampy Thera V. B. L. Shanker and others, reported in 1984 (Suppl.) SCC 631, has held in para 20 : an Election Petition is liable to be dismissed for default in situation covered by Order 9 or Order 17 of CPC. In view of above, no option is left with this court but to dismiss the case for want of prosecution. Accordingly, the petition is dismissed for want of prosecution. No order as to costs. Sd/- N. K. AGARWAL Judge.	

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 9th February, 2012—21 Magha, 1933 (Saka)

No. 82/CGH/(5/2009)/2012 .— In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes Order dated the 25th July, 2011 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur in Election Petition No. 5/2009.

By order,

Sd./-
(K. AJAY KUMAR)
Pr. Secretary
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

Election Petition No. 05/2009

PETITIONER : Mantu Ram Pawar, Aged about 37 years, S/o late Subran Singh Pawar R/o Tahsil & Post-Antagarh, District-Kanker (CG)

VERSUS

RESPONDENTS :

1. Vikram Singh Usendi S/o Dev Singh Usendi R/o Village- Ghotulbeda, Post-Bondanar, Tahsil-Antagarh, District Kanker (C.G.) Presently R/o C-3, Civil Lines, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)
2. Amrit Khalko Returning Officer (District Kanker) Anatagarh Assembly Election District-Kanker (C.G.)
3. Mohtaj Singh Rana S/o Budh Singh Rana R/o Village-Sohgoan, Post-Easebeda, Tahsil-Pakhanjore District-Kanker (C.G.)
4. Rajeev Dhurwa S/o Barsu Ram Dhurwa, R/o Village & Post-Rengavahi, Tahsil-Pakhanjore District-Kanker (C.G.)
5. Om Prakash Padda S/o M. R. Padda, R/o H. No. 166, Santoshi Ward No. 15, Bhanupratappur, Tahsil-Bhanupratappur, District-Kanker (C.G.)

15-01-2009

Today i.e. on 15/01/2009 at about 01:00 pm Shri Mantu Ram Pawar, Presented an election Petition u/s 80/80-A, R/w section 100 and 101 of the Representation of people Act challenging the election of Shri Vikram Singh Usendi, in the capacity of candidate (Participating) in the constituency No. i.e. 79, Antagarh (C.G.)

Election Petition under Section 80/80-A read with Section 100 & 101 of the Representation of People Act, 1951

The following is respectfully submitted on behalf of the petitioner :

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक EP 05 सन् 2009

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश

S. B. Hon'ble Shri Justice N. K. Agarwal 25-07-2011

None for the petitioner.
Shri BD Guru, Advocate for respondent No. 1.
Shri SC Verma Advocate for respondent No. 2.

On 15-03-2011, Shri Varun Sharma, learned counsel appearing for the petitioner pleaded no instruction in the matter. Thereafter matter was adjourned.

Today also, the matter is called for hearing twice. On both the occasions, none appears nor any representation is made on behalf of the petitioner. The petitioner may not be interested in the matter.

The Supreme Court in case of Dr. P. Nalla Thampy Thera V. B. L. Shanker and others, reported in 1984 (Suppl.) SCC 631, has held in para 20 : an Election Petition is liable to be dismissed for default in situation covered by Order 9 or Order 17 of CPC.

In view of above, no option is left with this court but to dismiss the case for want of prosecution.

Accordingly, the petition is dismissed for want of prosecution. No order as to costs.

Sd/-

N. K. AGARWAL,
Judge.